मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल – 462004

कमांक सी. 3–13 / 2019 / 3 / एक　　　　भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः–शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर 3 वर्ष की परिवीक्षावधि पर नियुक्त किया जाना।

—00—

राज्य शासन द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के पद पर निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :–

(अ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावे।

(ब) परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

(स) बिन्दु (ब) अनुसार कार्यवाही करने हेतु मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में आवश्यक संशोधन करने हेतु वित्त विभाग को अधिकृत किया जाता है।

(द) उपरोक्तानुसार विभिन्न विभागों के विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने हेतु समस्त विभागों को अधिकृत किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था ऐसी सभी सेवाओं के लिए लागू की जावे, जिनके लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा नहीं ली जाती है।

3/ यह आदेश मंत्रि–परिषद आदेश आयटम क्रमांक–20 दिनांक 27 नवम्बर, 2019 में लिये गए निर्णय के पालन में जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. मान. मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, भोपाल
4. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर, भोपाल।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
11. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
14. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/समस्त अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय।
15. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग